जबलपुर | शुक्रवार | 24 जुलाई 2026 | वर्ष 77 | अंक 181 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

5 पूर्व से पश्चिम तक प्रलय का दहशत

6 अयोध्या के बाद क्या अब मथुरा की बारी!

7 भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

8 भारत ने जिम्बाब्वे को रौंदा

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन : मोदी

नीट पेपर लीक के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली 23 जुलाई. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, मामले के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस संबंध में निर्देश दे दिए गये हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है.

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

पेपरलीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत विपक्ष के नेताओं ने गुरुवार शाम को सोनिया गांधी के निवास पर बैठक के बाद घर से गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। उनके साथ शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आईयूएमएल के नेता भी शामिल हैं।

विपक्ष ने लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया जिसके कारण तीन बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत के लिए चार बार ऑफर भेजा गया है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑफर ठुकरा दिया. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा- सरकार को बात करनी है तो जंतर-मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे. हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे.

युवाओं का हित मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता

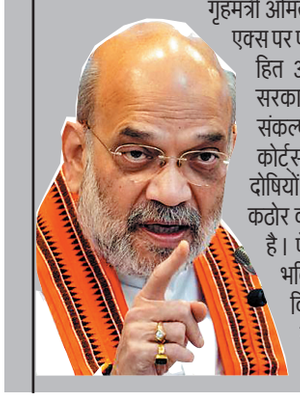

गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी. प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा.

देश में पहली बार पेपर लीक के खिलाफ कानून

वर्ष 2024 में देश में पहली बार पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानून पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 बनाया गया। जिसके तहत 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, यदि कोई संगठित गिरोह या संस्थान पेपर लीक में शामिल पाया जाता है, तो 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना। संगठित अपराध में शामिल पाए जाने वाले संस्थानों या लोगों की संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। इसे 21 जून 2024 की आधी रात से ही पूरे देश में लागू किया गया था।

हमारे एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएँ!

एफडीआई नियमों में बदलाव

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में बनाएंगी उत्पाद

नई दिल्ली, 23 जुलाई. केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में अहम बदलाव करते हुए विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को इन्वेंट्री आधारित मॉडल के तहत भारत में निर्मित उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. हालांकि भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को इसी मॉडल के तहत सीधे सामान बेचने पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.

अब तक विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर कारोबार नहीं कर सकती थीं. इस मॉडल में कंपनी स्वयं सामान खरीदती है, उसे अपने गोदाम में रखती है और फिर सीधे ग्राहकों को बेचती है. नए नियम के तहत यदि उत्पाद भारत में निर्मित है और उसे केवल निर्यात के लिए भेजा जाना है, तो इस मॉडल की अनुमति होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल निर्यात गतिविधियों तक सीमित है. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में अपने स्टॉक से सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री नहीं कर सकेंगी और घरेलू बाजार में इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर प्रतिबंध यथावत रहेगा.

एक नजर में

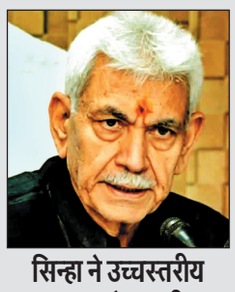

सिन्हा ने उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर के लोक भवन में सुरक्षा स्थिति और चल रही अमरनाथ यात्रा की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. अधिकारियों ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और यह बुधवार दोपहर अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के मारे जाने के एक दिन बाद हो रही है.

गुस्ताखी माफ

पुलिस में 9,662 पदों को एक दिन में मंजूरी

- आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक होंगी भर्तियां
- इन पदों पर सीधी भर्ती की शुरू की जाएगी प्रक्रिया

भोपाल, 23 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने पुलिस की विभिन्न श्रेणियों के 9 हजार 662 पदों की स्वीकृति एक ही दिन में जारी कर दी है. इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

चार आदेशों में मंजूर हुए पद

गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें अराजपत्रित सूबेदार (शीघ्र लेखक) के 135 पद और सहायक उपनिरीक्षक के 520 पद सहित कुल 655 पदों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा सूबेदार के 81, उपनिरीक्षक जिला पुलिस बल के 312, उपनिरीक्षक विसबल के 69, उपनिरीक्षक क्यूडी के 4, अंगुल चिन्ह के 22, आयुध के 10 और फोटो शाखा के 9 पदों सहित कुल 507 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तीन दिन पहले पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने के लिए भर्ती, पदोन्नति और संसाधनों को मजबूत करना जरूरी है. सबसे अधिक पद आरक्षक के लिए स्वीकृत किए गए हैं. इसके तहत 7,500 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी. वहीं आरक्षक चालक के 1,000 पदों को भी मंजूरी प्रदान की गई है.

निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में 619 मिलियन डॉलर का निवेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में 2020 के सुधारों के बाद निजी भागीदारी तेजी से बढ़ी है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में अब तक 618.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश हो चुका है. सरकार ने 105 निजी संस्थाओं को प्राधिकरण जारी किए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए नियामक ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है.

440 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर

14 .52 किलोमीटर लंबी बिछेगी तीसरी रेल लाइन

03 .52 मिलियन टन माल ढुलाई की क्षमता होगी विकसित

नई दिल्ली, 23 जुलाई. भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन और मिदनापुर के बीच 14.52 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है.

रेलवे के अनुसार, यह सेक्शन हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क (एचयूएन-2) का हिस्सा है. वर्तमान में निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन से गोकुलपुर तक का हिस्सा सिंगल लाइन है, जबकि डबलिंग का कार्य पहले से जारी है. तीसरी रेल लाइन बनने के बाद इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कॉरिडोर की क्षमता और परिचालन लचीलापन दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.

इस परियोजना का उद्देश्य व्यस्त रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाना, यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना तथा परिचालन दक्षता में सुधार करना है. हाई-डेंसिटी रूट की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम-आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परियोजना हाई-डेंसिटी रेल मार्गों पर नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की भारतीय रेलवे की व्यापक योजना का हिस्सा है. परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर हर वर्ष अतिरिक्त लगभग 3.52 मिलियन टन (एमटीपीए) माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जिससे उद्योगों और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को गति मिलेगी.

स्वास्थ्य और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने हुए दो अहम समझौते

नई दिल्ली, 23 जुलाई. भारतीय औषध संहिता आयोग (आईपीसी) ने विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (डीएसएमएन आरयू), लखनऊ और सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान (सीएस आईआर-सीआईएमएपी) के साथ दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर और नवीनीकरण किया है.

ओबीसी की 51% आबादी को महज 14%आरक्षण

- किस आधार पर तय किया गया प्रतिशत
- हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 28 जुलाई को

जबलपुर, 23 जुलाई। मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण से जुड़े प्रकरणों की सातवें दिन गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहीं। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई दौरान सर्व प्रथम ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर सभी मामलों में सुनवाई हुई, जिसके पश्चात् ओबीसी आरक्षण के समर्थन तथा आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार हुआ। याचिकाकर्ता संस्था एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में सभी वर्गों को सिर्फ ओबीसी आरक्षण से ही आपत्ति है।

आरक्षण के आंकड़े

उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6 फीसदी है, जबकि इनका आरक्षण 16 फीसदी है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.01 फीसदी व आरक्षण 20 फीसदी है। वहीं सामान्य वर्ग की आबादी महज 13 फीसदी है, जबकि इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10 फीसदी आरक्षण है। जबकि ओबीसी की आबादी 51 फीसदी है, लेकिन इन्हें आरक्षण मात्र 14 फीसदी ही है।

तर्क दिया गया कि जब सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी किया, तो सवर्ण वर्ग द्वारा व्यापक विरोध करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं दाखिल कर दी गईं, जिनमें मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आज तक कोर्ट को यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस फार्मूले के तहत आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की परिभाषा क्या है। इसके साथ ही न्यायालय को बताया गया कि

सोनम की जमानत रद्द, तीन सप्ताह में सरेंडर के आदेश

- तकनीकी आधार पर जमानत देना उचित नहीं
- 6 महीने में ट्रायल पूरा करने सुको ने दिए निर्देश

नव भारत न्यूज

इंदौर. चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने उसे तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं. आदेश के बाद सोनम को दोबारा जेल जाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेशन और जस्टिस पीबी वरेले की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में कथित कमियों को आधार बनाकर जमानत देने में गलती की. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारण पूरी तरह नहीं बताए जाना और जानकारी में कुछ कमी रहना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं.

इंदौर को मिली बड़ी सौगात | लवकुश लेवल-2 डबल लेयर फ्लाईओवर की एक लेन का लोकार्पण कर यातायात के लिए खोला गया

यूसीसी को मिला व्यापक जन समर्थन : डॉ. मोहन यादव

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर के बहुप्रतीक्षित लवकुश लेवल-2 डबल लेयर फ्लाईओवर की एक लेन का लोकार्पण कर उसे यातायात के लिए खोल दिया। उज्जैन की ओर से अरविंदो अस्पताल से मारीमाता की दिशा में शुरू हुई इस लेन के चालू होने से इंदौर-उज्जैन मार्ग पर यातायात अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखकर तैयार की गई लगभग 175 करोड़ रुपये की यह परियोजना विकसित इंदौर और विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 1450 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर की विशेषता इसकी त्रिस्तरीय यातायात व्यवस्था है। पहले स्तर पर सामान्य यातायात, दूसरे स्तर पर वर्तमान फ्लाईओवर और मेट्रो कॉरिडोर तथा तीसरे स्तर पर नया डबल लेयर फ्लाईओवर संचालित होगा। परियोजना में 22 मीटर ऊंचाई पर 65 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े स्पान पर दो 400-400 टन वजनी स्टील बो-स्ट्रिंग गर्डर लगाए गए हैं।

इंदौर आगमन पर एयरपोर्ट पर विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता यूसीसी का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय प्रदान करना है तथा यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक समरसता और समानता को मजबूत करेगा।

लंबी दूरी की मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण

नई दिल्ली,23 जुलाई. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल कुशा का गुरुवार को पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. डीआरडीओ के अनुसार यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण को अहम उपलब्धि करार देते हुए इससे जुड़े वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी है. श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, डीआरडीओ ने आज ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे

अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. कुशा मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी और ऊंचाई पर कई तरह के हवाई खतरों- जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, यूएवी और दुश्मन के बड़े विमानों - को नष्ट करने में सक्षम है.

उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है. उन्होंने कहा, कुशा का आज का सफल परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास में एक अहम उपलब्धि है. लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता दुनिया के बहुत कम देशों के पास है.